



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 05]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936

No. 05]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 5(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2014 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया) के नियम 11 के उपनियम (10) में दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा।
- मूल नियमों में नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“11क गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को दो शाखाओं में बांटना: गैर प्रसंस्करण क्षेत्र को दो शाखाओं में बांटा जा सकता है, अर्थात्—

- (1) **जहां सामाजिक या वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य सुविधाएं विशेष आर्थिक जोन तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र संस्थाओं दोनों, द्वारा उपयोग करने की अनुमति हो:** इस प्रकार की अवसंरचना के सृजन हेतु किसी छूट, रियायत अथवा वापसी की अनुमति नहीं होगी। ऐसी अवसंरचना के सृजन हेतु पहले लिए गए सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा ऐसे अन्य केंद्रीय शुल्कों और कर लाभों को विकासकर्ता द्वारा ब्याज के बिना पूरी तरह वापस किया जाएगा। तथापि, दोहरे उपयोग की अनुमति के कारण सरकार को वापस की जाने वाली राशि के अल्प

भुगतान के मामलों में राशि के देय होने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। विशेष आर्थिक जोन की भूमि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) भूमि का उपयोग केवल संबंधित राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकायों के विनियमों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) यदि राज्य या स्थानीय करें जैसे स्टॉप शुल्क, भूमि उपयोग का परिवर्तन आदि से कोई छूट अथवा वापसी प्राप्त की जाती है तो उसे राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को वापस किया जाएगा और संबंधित प्राधिकरणों से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाएगा;

(ग) अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) द्वारा अनुरोध पर विचार से पूर्व संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य सरकार उपर्युक्त (क) और (ख) पर विचार करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।

(2) **जहाँ सामाजिक या वाणिज्यिक अवसंरचना और अन्य सुविधाओं को केवल विशेष आर्थिक जोन की संस्थाओं द्वारा उपयोग करने की अनुमति हो:** इस भूमि के भाग को बांधा जाएगा और उपर्युक्त (1) में विनिर्दिष्ट घरेलू टैरिफ क्षेत्र, गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक जोन के प्रसंस्करण क्षेत्र से भौतिक रूप से अलग किया जाएगा। गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के इस भाग के लिए बोर्ड द्वारा यथानुमोदित अवसंरचना छूट, रियायत और कर वापसी की पात्र होगी।

(3) वाणिज्य विभाग ने आवासीय, वाणिज्यिक तथा अन्य सामाजिक सुविधाओं हेतु निश्चित किए जाने वाले क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड बनाए हैं :-

(क) विकासकर्ता या सह-विकासकर्ता केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में विकास आयुक्त को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसमें गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र का वह भाग दर्शाया जाएगा जिसे विशेष आर्थिक जोन तथा घरेलू टैरिफ क्षेत्र संस्थाओं द्वारा सामाजिक या वाणिज्यिक अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं हेतु उपयोग करना प्रस्तावित होगा तथा उक्त आवेदन के साथ अवसंरचना योजना तथा संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रति संलग्न की जाएगी।

(ख) विकास आयुक्त अनुमोदन बोर्ड (बी ओ ए) को उक्त आवेदन अग्रेषित करेगा।

(ग) विशेष आर्थिक जोन में शुल्क प्रदत्त दोहरे उपयोग हेतु गैर प्रसंस्करण क्षेत्र संबंधी क्षेत्र प्रतिबंध निम्नानुसार होंगे:-

(i) आवास – गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक;

(ii) वाणिज्यिक – गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के दस प्रतिशत से अनधिक;

(iii) खुला क्षेत्र और परिसंचरण क्षेत्र – गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र के पैंतालीस प्रतिशत से अन्यून;

(iv) शेष क्षेत्र में सामाजिक और संस्थागत अवसंरचना जिसमें स्कूल, कॉलेज, सामाजिक-सांस्कृतिक केन्द्र, प्रशिक्षण संस्थान, बैंक, डाक-घर आदि शामिल हैं।

(घ) फ्लोर क्षेत्र अनुपात या फ्लोर स्पेस इंडेक्स संबंधित स्थानीय प्राधिकरणों के मानकों के अनुरूप होंगे।

(ङ) गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में ऐसे शुल्क प्रदत्त दोहरे उपयोग हेतु अवसंरचना के विक्रय की अनुमति नहीं होगी और उपयोक्ताओं या अंतरितियों के पास विशेष आर्थिक जोनों के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में उक्त

दोहरे उपयोग वाली शुल्क प्रदत्त अवसंरचना के संबंध में केवल लीज होल्ड अधिकार न्यागत हो सकते हैं; और

(च) वाणिज्य विभाग अथवा अनुमोदन बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य कोई शर्तें।

[फा. सं. सी-1/2/2014-सेज]

डॉ. गुरु प्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम तारीख 10 फरवरी, 2006 के सा.का.नि. 54(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और उनमें 12 अगस्त, 2013 के सा.का.नि. सं. 540(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2015

G.S.R. 5(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2014.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 11, in sub-rule (10), the second proviso shall be omitted.
3. In the principal rules, after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:—

“11A. Bifurcation of non-processing area: The non-processing area can be bifurcated into two parts, namely:—

- (1) **Where the social or commercial infrastructure and other facilities are permitted to be used by both the Special Economic Zone and Domestic Tariff Area entities:** No exemptions, concessions or drawback shall be admissible for creation of such infrastructure. The Customs duty, Central Excise duty, Service Tax, and such other Central levies and tax benefits already availed for creation of such infrastructure shall be refunded by the Developer in full, without interest. However, in cases of short payment of the amount refundable to the Government on account of dual use permission, interest will have to be paid at the rate of fifteen per cent per annum from the day the said amount becomes payable to the date of actual payment. Utilisation of SEZ land shall be subject to following conditions:
 - (a) the land is to be put to only such use which is as per the regulations of the concerned State Government or local bodies;
 - (b) if any exemption or refund has been taken from State or local taxes like stamp duty, change of land uses, etc., the same shall be refunded back to State Government or local authorities and a certificate to this effect shall be produced from the concerned authorities;
 - (c) No Objection Certificate (NOC) from the concerned State Government shall be produced before the consideration of the request by Board of Approval (BoA). State Government may issue No Objection Certificate (NOC) taking into consideration (a) and (b) above.

- (2) **Where the social or commercial infrastructure and other facilities are permitted to be used only by Special Economic Zone entities:** This portion shall be bonded and physically segregated from the Domestic Tariff Area, non-processing area, specified at (1) above and the processing area of the Special Economic Zone. The infrastructure, as may be approved by the Board, for this part of non-processing area shall be eligible for exemptions, concessions and drawback.
- (3) The Department of Commerce has provided the following norms with respect to areas to be earmarked for residential, commercial and other social facilities:—
- (a) The Developer or Co-developer shall submit an application in the format as specified by the Central Government to the Development Commissioner indicating therein the portion of the non-processing area where social or commercial infrastructure and other facilities are proposed to be used by both Special Economic Zone and Domestic Tariff Area entities and the said application shall be accompanied with a copy of the Infrastructure Plan and No Objection Certificate from the concerned State Government and supporting documents.
 - (b) The Development Commissioner shall forward the said application to the Board of Approval (BoA) for approval.
 - (c) The area restrictions for duty paid dual use non processing area in the Special Economic Zones shall be as follows:—
 - (i) Housing - not more than twenty five per cent of non-processing area;
 - (ii) Commercial - not more than ten per cent of non-processing area;
 - (iii) Open area and circulation area-not less than forty five per cent of non-processing area;
 - (iv) Social and institutional infrastructure including schools, colleges, socio-cultural centres, training institutes, banks, post office, etc., in the remaining area.
 - (d) Floor Area Ratio or Floor Space Index shall conform to the norms of the concerned local authorities.
 - (e) No sale shall be permitted of such duty paid dual use infrastructure in the non-processing area and only lease hold rights can devolve upon the users or transferees of the said dual use duty paid infrastructure in Non Processing Area of Special Economic Zones; and
 - (f) Any other conditions as may be specified by the Department of Commerce or Board of Approval”.

[F. No. C.1/2/2014-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* number G.S.R. 540(E), dated the 12th August, 2013.